संशोधन

संख्या: 49/चिकित्सा-3-2002-69/2001.

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तरांचल ।

चिकित्सा अनुभाग-3 देहरादून: दिनांक 11 फरवरी, 2002.

विषय: राजकीय चिकित्सालयों में विभागीय कोटे, लघुनिर्माण कार्य हेतु स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल के पत्र संख्या: 7प/1/भवन निर्माण/112/2002/526, दिनांक 10.1.2002 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासना-देश संख्या: 91/चिकित्सा-3-2001-69/2001, दिनांक 22.12.2001 के प्रस्तर-2 व 3 को निम्नानुसार पढ़ा जाये:-

2. प्रत्येक जनपद हेतु स्वीकृत धनराशि के कार्य ही कराये जायें। अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाये ।

3. स्वीकृत धनराशि कोषागार से तत्काल आहरित की जायेगी तथा उसका व्यय/उपभोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या: 95/चि.-3-2001-69/2001, दिनांक 22.12.2001 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये ।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव ।

संख्या: 49/चि.-3-2002- 69/2001, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तरांचल, इलाहाबाद ।
(2) महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल देहरादून ।
(3) समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
(4) निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ।
(5) वित्त अनुभाग-2
(6) गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव ।

18